

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

किशना पिता जगन्नाथ मीणा निवासी ओडिया खेड़ा

बनाम

शंकर पिता रामनाथ निवासी ओडिया खेड़ा वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 26 /2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुये
02-04-24	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम ओडिया खेड़ा प.ह. भरणीकला आराजी सं. 288, 288/1, 351/1, 412, 538/1, 702/538, कुल किता 06 रकबा 3.3994 हेक्टेयर भूमि स्थित है अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगद्दी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगद्दी के आदेश प्रदान किये जावें प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है </p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगद्दी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगद्दी किया जाना उचित समझता है ग्राम ओडिया खेड़ा प.ह. भरणीकला आराजी सं. 288, 288/1, 351/1, 412, 538/1, 702/538, कुल किता 06 रकबा 3.3994 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगद्दी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक रोपा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है कमीश्नर फीस 2000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे पत्थरगद्दी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगद्दी के आदेश दिये जाते हैं पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें </p> <p>आदेश आज दिनांक 02/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया </p>	

उपखण्ड अधिकारी

जहाजपुर (शाहपुरा)



कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक रोडर/2024/26/2024

दिनांक- 02/04/2024

तिथि-
-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय - प.सं. 26 / 2024 अन्वयान किराना पिता जगन्नाथ मीणा निवासी ओडिया खेड़ा ब्रह्मान शंकर पिता रामनाथ निवासी ओडिया खेड़ा, कैलाश पिता मोरखनाथ निवासी ओडिया खेड़ा, हीरा पिता मूरा नाथ निवासी ओडिया खेड़ा, कानू पिता नुगलनाथ निवासी ओडिया खेड़ा, गणपत दत्तक पुत्र सोनाथ नाथ निवासी ओडिया खेड़ा, प्रेमनाथ पिता शंभूनाथ नाथ निवासी ओडिया खेड़ा, पारसनाथ पिता बन्नानाथ निवासी ओडिया खेड़ा, महेंद्र नाथ पिता बन्नानाथ निवासी ओडिया खेड़ा, रामलाल पिता मगना मीणा निवासी ओडिया खेड़ा, धारा सिंह पिता लालू मीणा निवासी ओडिया खेड़ा, भानु पिता लालू मीणा निवासी ओडिया खेड़ा, काली पुत्री लालू मीणा निवासी ओडिया खेड़ा, सोहनी पत्नी लालू मीणा निवासी ओडिया खेड़ा, धीतुलाल पिता रतना मीणा निवासी ओडिया खेड़ा, बहादुर पिता रतना मीणा निवासी ओडिया खेड़ा, सोहनी पत्नी रतना मीणा निवासी ओडिया खेड़ा, जगदेव पिता मन्दा मीणा निवासी ओडिया खेड़ा, उमना पिता हरदेव मीणा निवासी ओडिया खेड़ा, सुनिता पत्नी सीता सिंह मीणा निवासी ओडिया खेड़ा, अमरसिंह पिता देवाराम मीणा निवासी ओडिया खेड़ा, रामनारायण पिता देवाराम मीणा निवासी ओडिया खेड़ा, सुनिता देवी पत्नी छोड़ू मीणा निवासी ओडिया खेड़ा, तहसीलदार जहाजपुर की पत्थरगढी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयवर्तित अन्वयान के प्रकरण में ग्राम ओडिया खेड़ा प.ह. भरणीकला आराजी सं. 288, 288/1, 351/1, 412, 538/1, 702/538, कुल कित्ता 06 रकबा 3.3994 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक रोपा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 2000 रुपये तय किए जाते हैं जो पार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिती में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा